दिनांकः 15.07.2024

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा उपजिलाधिकारी नकुड़ को धमकी देने वाला जनपद सहारनपुर का 25,000/- का ईनामी व जनपद गोरखपुर का गैंगस्टर में 15,000/- का ईनामिया घोषित अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल व सिम सहित कुल 03 मोबाईल फोन एवं 11 सिम बरामद।**

अवगत कराना है कि दिनांक 08.07.24 को श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट नकुड सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बावत श्रीमान उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट नकुड, सहारनपुर के मो0 न0 9454416973 पर मोबाइल नम्बर 9454460072 अभि0/कॉलर द्वारा गाली गलौच करते हुए महिला लोक सेवक होने बावजूद अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर उपहति करने की धमकी देने तथा लोक सेवक के कार्य को बाधित करने के सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 216/24 धारा 352/351(3)/121(1)/224/79 भा0न्या0सं0 बनाम मोबाइल नम्बर 9454460072 अभि0/कॉलर संजय सिंह निवासी देवरिया मण्डल गोरखपुर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25,000/- रूपये का ईनाम घोषित किया गया। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण मे तथा क्षेत्राधिकारी नकुड़ व प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.07.24 को अभियुक्त के मो0न0 9454460072 को सीडीआर व कैफ आईडी के माध्यम से अभि0 चादंनी उर्फ चन्दन पुत्र गुलाब कन्नौजिया नि0 ग्राम तिलौली धरमेर थाना लार (बनकटा) जनपद देवरिया व ग्राम छतौनी थाना रसाड़ा जिला बलिया को मेरठ सरधना नहर पुल के पास से समय करीब 18.20 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 मोबाईल फोन व 11 भिन्न भिन्न कम्पनी के मोबाईल सिम व 720 रूपये बरामद किए गये। विवेचनात्मक कार्यवाही से अभियोग में धारा 318(4)/204/49 बीएनएस की वृद्धि की गयी है तथा यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्त थाना झंगड़ा जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 506/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में 15000 रूपये का ईनामिया घोषित अभियुक्त है। अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ करने पर** अभियुक्त चांदनी उर्फ चन्दन उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैने पूर्वांचल के जिला बलिया , देवरिया, मऊ, गोरखपुर जिले के कई अधिकारियो को रोभ में काम करवाने हेतु फोन पर गाली गलौच व धमकी दी थी, जिस कारण वर्ष 2018 से अब तक मेरे खिलाफ करीब दो दर्जन मुकदमें लिख गये है तथा थाना झगहा गोरखपुर में मेरे खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा लिखा हुआ है जिसमें मेरे ऊपर 15000 रूपये का इनाम भी है। करीब 15 दिन पहले जिला सहारनपुर के एक प्रधान का काम कराने के लिए मैने अपने मो0न0 9454460072 से स्वयं को कृषि मंत्री का पीए बताकर महिला एसडीएम नकुड़ जिला सहारनपुर के मो0न0 9454416973 पर फोन करके गाली गलौच व धमकी दे दी थी और काम न करने पर कपॉल फोड़ने व जूते से मारने तथा चक्का जाम करने की धमकी भी दी थी। यह नम्बर मेरे लावा कम्पनी के की पैड फोन में पड़ा है, यह नम्बर मैने करीब तीन चार महीने पहले अपने नाम पते से लिया था। मेरा

कृषि मंत्री अथवा कृषि मंत्री के पीए से कोई मतलब है और न ही कभी कृषि मंत्री का पीए रहा हूँ। मैने प्रधान का काम कराने के लिए उपरोक्त प्रधान हरेन्द्र पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह जिला सहारनुर से 15000 रूपये मोबाईल फोन के माध्यम से लिये थे। जिनमें से कुछ रूपये मेरे खाते में है तथा कुछ रूपये खर्च हो गये तथा शेष 750 रूपये मेरे पास है। मैं कल रात बलिया गया था लेकिन वहाँ मुझे पुलिस ढूंढ रही थी जिस कारण मैं वहाँ से दिल्ली आने के लिए एक कार में बैठकर आया था उस कार वाले ने मुझे मेरठ सरधना रोड पर उतार दिया था और मुझसे कहा कि दिल्ली यहाँ से पास है तुम यहाँ से कोई वाहन पकड़कर चले जाओ। मैं वाहन का इन्तजार कर रहा था कि मुझे पुलिस वालो ने पकड़ लिया। मुझसे जो सिम व फोन मिले है उनसे ही मैं अधिकारियों को फोन कर बात की है। मेरे खिलाफ पूर्वांचल में काफी मुकदमें हो गये थे जिससे मुझे वहाँ की पुलिस तलाश रही थी इसलिए मैने पश्चिम की तरफ अपना रूख कर लिया था। पुलिस के डर की वजह से मैं आज दिल्ली जा रहा था।

**अभियुक्त का नाम व पताः-**

चादंनी उर्फ चन्दन पुत्र गुलाब कन्नौजिया नि0 ग्राम तिलौली धरमेर थाना लार (बनकटा) जनपद देवरिया व ग्राम छतौनी थाना रसाड़ा जिला बलिया

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-**

1. मु0अ0सं0 388/2023 धारा 170, 353, 386, 419, 420, 468, 504, 507 भादवि चालानी थाना झंगड़ा गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 391/23 धारा 406, 420 भादवि चालानी थाना झंगड़ा जनपद गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 506/23 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम चालानी थाना झंगड़ा जनपद गोरखपुर।
4. मु0अ0सं0 56/218 धारा 41/411/414/420/467/468/471/170/34 भादवि चालानी थाना बांसीडीह जिला बलिया
5. मु0अ0सं0 364/2019 धारा 353/506 भादवि चालानी थाना कोतवाली जिला बलिया।
6. मु0अ0सं0 93/22 धारा 7 भादवि 506/504/353/332 सीएलए एक्ट चालानी थाना उभांव जिला बलिया।
7. मु0अ0सं0 132/18 धारा 419/420/504/506/507/189 भादवि चालानी थाना कोपागंज जिला मऊ
8. मु0अ0सं0 66/23 धारा 507 भादवि चालानी थाना लखनसीसराय जिला मऊ
9. मु0अ0सं0 177/23 धारा 353/504/506/395/188/269/270 भादवि चालानी थाना सुरियावा जिला भदोही
10. मु0अ0सं0 287/21 धारा 507/420/170 भादवि चालानी थाना दोहरीघाट जिला मऊ
11. मु0अ0सं0 602/2021 धारा 507 व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट चालानी थाना घोषी जिला मऊ।
12. मु0अ0सं0 41/2024 धारा 353/504/507 भादवि चालानी थाना नरही जिला बलिया।
13. मु0अ0सं0 173/23 धारा 504/507/186 भादवि चालानी थाना गडवार जिला बलिया।
14. मु0अ0सं0 55/2018 धारा 332,353,419,504,506 भादवि चालानी थाना बांसडीह जिला बलिया,
15. मु0अ0सं0 40/2011 धारा 170,417,419,420,504,506 भादवि चालानी थाना उभाव जिला बलिया,
16. मु0अ0सं0 210/2009 धारा 170,353,419,420 भादवि चालानी थाना गढवार जिला बलिया,
17. मु0अ0सं0 42/2011 धारा 170,417,419,420,504,506 भादवि चालानी थाना नगरा जिला बलिया,
18. मु0अ0सं0 143/2009 धारा 170,353,419, भादवि चालानी थाना पकरी जिला बलिया,
19. मु0अ0सं0 235/2009 धारा 170,182,419,420,507 भादवि चालानी थाना बासडीह जिला बलिया,
20. मु0अ0सं0 182/2009 धारा 170,420,500,506 भादवि चालानी थाना बांसडीह रोड जिला बलिया,
21. मु0अ0सं0 419/2009 धारा 189,419 भादवि चालानी थाना कोतवाली जिला बलिया,
22. मु0अ0सं0 172/2009 धारा 170,353,419,420,507 भादवि चालानी थाना सुखपुरा जिला बलिया,
23. मु0अ0सं0 216/24 धारा 352/351(3)/121(1)/224/79/318(4)/204/49 भा0न्या0सं0 थाना नकुड़, सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरणः-**

- 03 मोबाईल फोन ( एक रियल मी कम्पनी, दो लावा कम्पनी के की पैड फोन )
- 11 मोबाईल सिम ( 05 सिम बीएसएनएल, 05 सिम एयरटल, 01 सिम वीआई )
- कुल 750 रूपये

**अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1 प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

2. अति0 निरी0 श्री सिराजुद्दीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

4. है0का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

5. है0का0 320 तरूण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 15.07.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर कारतूस ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.07.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर **अभियुक्त हारुन पुत्र इकराम निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना सहारनपुर** को चैकिंग के दौरान 01 तंमचा एवं 01 जिंदा कारतूस .315 के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 169/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह तमंचा मैने एक राह चलते व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम पता मै नही जानता हूँ। मैं तमंचा लोगों पर रौब जमाने व डराने के लिए अपने पास रखता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

अभियुक्त हारुन पुत्र इकराम निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण:-**

01 तमंचा 315 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

1. उ0नि0 श्री आकाश थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 479 अमित कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 2261 राजेन्द्र राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.07.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 04 मोटरसाइकिल व 01 बन्दूक पौना 12 बोर व 05 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद ।

**बरामदगीः-**

- **01 मोटर साईकिल हीरो**
- **01 मोटर साईकिल हीरो एचएफ डिलक्स**
- **01 मोटर साईकिल हीरो होन्डा स्पलेन्डर प्रो0**
- **01 मोटर साईकिल हीरो होन्डा सुपर स्पलैन्डर**
- **01 बन्दूक पौना (एक नाल) 12 बोर**
- **05 कारतूस जिन्दा 12 बोर**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं वाहन चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.07.2024 को 02 शातिर वाहन चोर अभियुक्तगण 1. अमित उर्फ बोना पुत्र रतन निवासी ग्राम भगवतपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर 2. भीम पुत्र शिवराज सिंह निवासी ग्राम भगवतपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर को सुन्दरपुर कुरडीखेडा मार्ग से पटाखा फैक्ट्री की तरफ जाने वाले तिराहे पर वाहनों की चैंकिंग के दौरान गिरफ्तार किये गये। उनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल तथा अभियुक्त अमित उर्फ बोना से एक अदद बन्दूक पौना(एक नाल) 12 बोर व 5 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर चोरी की 03 अदद मोटर साईकिल बरामद की गयीं। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणो के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 105/2024 धारा 318(4)/345(3)/317(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**विवरण पूछताछः -** गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर संयुक्त रूप से बताया कि हम दोनों अपने एक अन्य साथी जो ग्राम खुशहालीपुर का रहने वाला है उसके साथ मिलकर छुटमलपुर, फतेहपुर, बेहट व सहारनपुर शहर से अलग अलग जगहो से मोटर साईकिल चोरी करके बेच देते हैं। हमें जो पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लेते है जिससे हम अपने शौक पूरे करते है। अभियुक्त अमित उर्फ बोना ने बरामद बन्दूक पौना के बारे में बताया कि चोरी के दौरान पकडे जाने के डर से लोगो को डराने के लिये अपने पास रखता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-**

1. अमित उर्फ बोना पुत्र रतन निवासी ग्राम भगवतपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
2. भीम पुत्र शिवराज सिंह निवासी ग्राम भगवतपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार अभियुक्त अमित उर्फ बोना उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-**

1. मु0अ0सं0 109/2023 धारा 380/411 भादवि थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार
2. मु0अ0सं0 105/2024 धारा 318(4)/345(3)/317(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिहारीगढ

**गिरफ्तार अभियुक्त भीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-**

1. मु0अ0सं0 198/2016 धारा 392/411 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 105/2024 धारा 318(4)/345(3)/317(5) बीएनएस थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरणः-**

- 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर मो0सा0 मोडल नहीं लिखा है। आगे पीछे नम्बर प्लेट नहीं है।
- 01 मोटर साईकिल हीरो काला रंग जिस पर माडल नही लिखा है चैसिस न0 MBLHA10EK9 व आगे का नम्बर मिटाया गया है व इंजन नम्बर को पीटकर मिटाया हुआ है।
- 01 मोटर साईकिल हीरो होन्डा स्पलेन्डर प्रो0 काला रंग नम्बर UP11AN9495 व चैसिस नम्बर MBLHA10ADB9E12091 व इंजन नम्बर HA10EHB9E13516 है
- 01 मोटर साईकिल हीरो एचएफ डिलक्स काला रंग तथा आगे नम्बर प्लेट नही लगी है। पीछे नम्बर प्लेट पर UA08 से आगे मिटा हुआ है।
- 01 बन्दूक पौना (एक नाल) 12 बोर
- 05 कारतूस जिन्दा 12 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विनित चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. का0 2071 इस्लाम थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. का0 1557 गौरव पवांर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5. का0 273 प्रशान्त कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
6. का0 2331 लवलेश राठी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

**-प्रेस नोट-**

दिनांक: 15.07.2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.07.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अफजाल पुत्र ईकराम नि0 रक्खा कालोनी सदर बाजार सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को कुरान पढाने की आड मे जबरदस्ती दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देकर बार बार दुष्कर्म करने के संबंध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 389/24 धारा 376(2)(n) 506 376(3)भादवि0 व 5 (L)6 पोस्को मे अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यावाही करते हुए वांछित **अभियुक्त अफजाल पुत्र ईकराम नि0 रक्खा कालोनी सदर बाजार सहारनपुर** को रक्खा कालोनी से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से मान0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अफजाल पुत्र ईकराम निवासी रक्खा कालोनी सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम

1. निरीक्षक श्री दिनेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. का0 132 संदीप थाना सदर बाजार सहारनपुर

# प्रेस विज्ञप्तिः-

## श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर–सत्र न्यायाधीष एडीजे–11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 17.01.2019 को वादी व0उनि0 श्री संजीव कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर के द्वारा को अभियुक्तगण 1–दिलषाद पुत्र महबूब नि0 कालेवाला थाना भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड के कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0–14/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 841/2020 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे–11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे–11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 15.07.2024 को अभियुक्त दिलषाद पुत्र महबूब को मु0अ0स0–14/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम का दोषी पाते हुए **03 वर्ष का कारावास कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक उनि0 श्री सत्यवीर सिंह
पैरोकार का0 378 बिजेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 15.07.2024

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त को 480 नशीले कैप्सूल (NRx Spasmed Capsules) सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू चौधरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.07.2024 को चैकिंग के दौरान पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर **अभियुक्त अवनीश कुमार पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी मकान नं0 244/5 शमशेरपुर, थाना पोण्टा जिला सिरमौर (हिमाचल)** को बैरियर चौकी बादशाहीबाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 480 नशीले कैप्सूल (NRx Spasmed Capsules) व एक i-20 गाडी सफेद रंग (रजिस्ट्रेशन नम्बर HP17D1889) बरामद। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 104/24 धारा 8/21/22/60 एनडीपीएस एक्ट के** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं कस्बा बेहट से नशीले कैप्सूल खरीदकर चोरी छिपे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश ले जाता हूँ और वहां नशा करने वाले लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

अवनीश कुमार पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी मकान नं0 244/5 शमशेरपुर, थाना पोण्टा जिला सिरमौर )हिमाचल प्रदेश(

**बरामदगी का विवरण –**

480 नशीले कैप्सूल (NRx Spasmed Capsules)

i-20 गाडी सफेद रंग (रजिस्ट्रेशन नम्बर HP17D1889 बरामद)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 424 संजय धामा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर